

2018/00246

रिपोर्ट तहसीलदार व भू.अ.नि.

श्रीमानजी, ग्राम पापड में परवार हल्का पापड, खातेदार रामेश्वर रामधूल किर्णामणी की ख.न 291 रकबा 661/9 संवत् 2054-2057 जमाबंदी संवत् 2058-2061 में खातेदार रामधूल रामेश्वर रामधूल कल्याण पुत्र नानगा 1805142 दर्ज हो जबकी नानगा का हिं दर्ज नहीं हुआ है। अतः मुताबिक जमाबंदी संवत् 2054-2057 के अंतर्गत वर्तमान जमाबंदी संवत् 2058-2061 में जर्दी रामेश्वर रामधूल रामधूल किर्णामणी पिठ रामचन्द्र हिं 5184 कल्याण पुत्र नानगा (किराहत अउर) रमेश राजकुमार शंकर पिठ कल्याण का हिं 5184 कसे के लिए जर्दी-पत्र लगाया है जो मुताबिक जमाबंदी 2054-2057 किया जाना सही होगा। शेष हिंसा बदल रहेगा।

वर्तमान जमाबंदी 2065-2065 खाना न. 123 ख.न. 364 में हिं उता हिं पुरान बिधि जमा अकिरी

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

नि.अ.नि. पापड 25/5/18

मैं सहमत हूँ
 श्रीमानजी
 9602999229

रिपोर्ट पत्राजी एवं 14 के हिं शुरू किया जाना प्रस्तुत है।

तहसीलदार (पु.अ.) जमवारामगढ

हस्ताक्षर - पापड

मु.नं. 36/2018

रामेश्वर रामधूल रामधूल

आदेश

दिनांक - 25/5/18

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर सीपीएल की धारा 80 के तहत पुस्तक करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते हैं तदनुसार तहसीलदार जमवारामगढ राजस्व रिकॉर्ड में अंगल करें।

जमवारामगढ उप खण्ड अधिकारी